

फार्म प्रथम् नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण वर्ष -2019

- 1-अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक सिंह जादौन, राज्य पुलिस सेवा
- 2-वर्तमान धारित पद उप पुलिस अधीक्षक
- 3-वर्तमान वेतन 53100 ₹/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

409

उस जिले उप संभाग तालका तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थिति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीदा गया, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि				
1	2	3	4	5	6	8
ग्राम झौली शिवपुरी	-	6505	20 लाख	माताजी	पट्टा, विरासत	1 लाख
ग्राम झौली शिवपुरी	2000 जोर		2 लाख	माताजी	पट्टा, विरासत	-
ग्राम झौली शिवपुरी	1500 जोर		3 लाख	माताजी	पट्टा, विरासत	-

- जहां लागू न हो वहां काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही सही निर्धारण करना संभव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें काल्पनिक पट्टे भी सम्मिलित है।
- टिप्पणी- म0प्र0 शासकीय सेवक (आचरण) 1985 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दे।

हस्ताक्षर अशोक सिंह जादौन

नाम अशोक सिंह जादौन

पदनाम उप पुलिस अधीक्षक